—14 फारम सं0 562

आदेश पत्रक

1	2	3
19.12.2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया उक्त वाद श्री रामभद्र सिंह पिता स्व0 धर्मदेव सिंह, ग्राम कोरामी, थाना नौडीहा बाजार के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया था जिसमें उन्होने अपने खरीदगी भूमि ग्राम कोरामी के खाता संख्या 11, प्लॉट संख्या 14,31,35 कुल रकबा 4.79 एकड़ पर श्री गीरजा पासवान, पिता स्व0 जगदीश राम, वगैरह ग्राम कोरामी, द्वारा बा जबरजस्ती जोत–कोड़ करने का आरोप लगाया था जिसपर विभिन्न तिथियों के सुनवाई के क्रम में दोनो पक्षों ने अपना–अपना पक्ष रखा जिसमे प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में लगान रसीद एवं केवाला के सभी प्रतिलिप का छाया प्रति प्रस्तुत किया है। जिसमे उन्होने यह बताया की उक्त भूमि उनके द्वारा विक्रेता श्यामबिहारी सिंह से केवाला द्वारा प्राप्त किया गया है। विक्रेता गण को प्रश्नागत भूमि निलामी में प्राप्त हुआ था, जिसे लेकर पूर्व में की दोनो पक्ष राजस्व न्यायालय में धारा 83 एवं 89 के तहत वाद दायर कर चूके है। द्वित्तीय पक्ष प्रश्नागत भूमि पर खतियान/रैयत के बंसज होने के आधार पर दावा के आधार पर दावा प्रस्तुत करते है। जिसे लेकर अपर समाहर्त्ता पलामू के न्यायालय में द्वित्तीय पक्ष द्वारा विवाद संख्या 54/90 दायर किया गया था, जिसपर अपर समाहर्त्ता द्वारा सर्वे राजस्व न्यायालय में चल रहे धारा 89 का हवाला देते हुए वाद की कर्रवाई स्थगित कर दिया गया था। उक्व वाद में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमे उन्होने यह प्रतिवेदित किया है कि मौजा कोरामी के खाता 11, प्लॉट 14,31,35, रकबा क्रमशः 3.20 एकड़, 1.46 एकड़ एवं 0.13 एकड़ गत सर्वे खतियान के अनुसार टिमन चमार वल्द योगी चमार दर्ज है, मांग पंजी II	

Scanned with CamScanner

के अनुसार प्रश्नगत भूमि का मांग पंजी II के पृष्ट संख्या 27/I पर धर्मदेव सिंह वल्द दलभजन सिंह के नाम पर कायम है। जिसका लगान वर्ष 1985—86 से 2014—15 तव वसूल है। ऑनलाईन पंजी II के प्राधिकार कॅलाम में पृष्ट संख्या 75, भॅलूम संख्या 1 से आया दर्ज है, जो विरोधाभष है साथ ही मांग कायम होने का कोई स्पष्ट दर्ज नहीं है। चूंकि आवेदक द्वारा ही इसी भूमि से संबंधित सर्वे के राजस्व न्यायालय में धारा 89 के तहत वाद संख्या 12494/2011 दायर किया गया है जो विचाराधिन है।

चूंकि वरीय न्यायालय में वाद की सूनवाई विचाराधीन है ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय में वाद की सूनवाई न्योचित प्रतित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त स्थिति में इस न्यायालय में चल वाद संख्या 04/2016—17 की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

लेखापित/संशोधित

अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार पलामू।

अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार पलामू।